संख्या: 48/2016/697/छप्पन-2016-95/2012

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 16 जून, 2016

विषय: कैप्टन दीपक श्रीवास्तव, कैप्टन प्रज्ञेश मिश्र एवं कैप्टन ए0के0 भूटानी को मैसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर के प्रस्तावानुसार शुल्क भुगतान के आधार पर बेल-412 के डी0 लेवल सिमुलेटर पर रिकरेन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः09/ना0उ0नि0/आप्स/17-2016, दिनांक 03.5.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कैप्टन दीपक श्रीवास्तव, कैप्टन प्रज्ञेश मिश्र एवं कैप्टन ए0के0 भूटानी को मैसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर द्वारा शुल्क भुगतान के आधार पर डी0 लेवल सिमुलेटर पर रिकरेन्ट ट्रेनिंग/क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए क्रमशः दिनांक 06.08.2016 से दिनांक 11.08.2016 तक, दिनांक 06.10.2016 से दिनांक 11.10.2016 तक एवं दिनांक 06.11.2016 से दिनांक 11.11.2016 तक की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है। फर्म को प्रशिक्षण शुल्क एवं एकोमोडेशन के रूप में कुल रूपये 21,58,881/- का व्यय निहित है। अतः राज्यपाल महोदय कैप्टन दीपक श्रीवास्तव, कैप्टन प्रज्ञेश मिश्र एवं कैप्टन ए0के0 भूटानी को क्रमशः दिनांक 06.08.2016 से दिनांक 11.08.2016 तक, दिनांक 06.10.2016 से दिनांक 11.10.2016 तक एवं दिनांक 06.11.2016 से दिनांक 11.11.2016 तक मैसर्स हैट्स आफ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलौर में सिमुलेटर पर ट्रेनिंग कराये जाने की स्वीकृति एवं प्रशिक्षण शुल्क एवं एकोमोडेशन शुल्क के रूप में रूपये 21,58,881/- (रूपये इक्कीस लाख अट्ठावन हजार आठ सौ इक्यासी मात्र) के व्यय के अग्रिम आहरण की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान मैसर्स हैट्स आफॅ ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर के बैंक खाते में वायर ट्रांसफर द्वारा किया जाय। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रावधानित धनराशि से अधिक न हो तथा यात्रा व्यय का भुगतान 04-यात्रा व्यय के मद से नियमानुसार किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात कैप्टन दीपक श्रीवास्तव, कैप्टन प्रज्ञेश मिश्र एवं कैप्टन ए0के0 भूटानी के लाइसेन्स में नियमानुसार पृष्ठांकन कर स्वीकृत धनराशि का समायोजन की सूचना शासन को तत्काल दी जाय।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या 38 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

7- ये आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या- एफ0ए0-1-227/दस-16, दिनांक 15 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या: 48/2016/697(1)/छप्पन-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226 024.
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- मैसर्स हैट्स आफ ट्रेनिंग एकेडमी प्रा0लि0, बैंगलौर।
6- सम्बन्धित अधिकारी।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।